THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) to (e) In the first four years and 10 months of the Sixth Plan period. 147 applications for establishing new sugar factories in various States of the country have been received. Out of these, 24 applications were returned to the concerned State Governments as they did not fall within the parameters of the revised guidelines. Of the remaining applications. letters of intent/industrial licences have been granted in 59 cases and 6 applications are under examination, 58 cases have been rejected having been found techno-economically not feasible.

During the last three years *viz*. 1981-82 to 1983-84 (October-September); the following four sugar factories to whom letters of intent were granted during the 6th Five Year Plan have gone into production.

(1) Ponni Sugar & Chemicals Ltd., Pallipalayam Tq. Tiruchengode. Distt. Salem (Tamil Nadu).

(2) Hutatma Kison Ahir S.S.K. Ltd., Walwa. Distt. Sangli, (Maharashtra).

(3) Navalsingh S.S.K. Maryadit, Burhanpur, Distt. Khandwa, (Madhya Pradesh).

(4) Tiruttani Coop. Sugar Mills Ltd.. Tiruttani, Distt. Chinglepet (Tamil Nadu).

The total cost of a Standard size sugar factory of 1250 TCD is around Rs. 10 Crores and one such factory directly employs about 625 persons.

Khandsari industry is in the unorganised sector. Its number increases or decreases every year depending upon the sugar price. This industry is being controlled by the State Governments and as such Central Government do not have detailed information.

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर शिक्षा तथा खेलों सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए अधिक समय का दिया जाना

2919. **श्री रामसिंह भाई पातलीया-भाई राठवा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर शिक्षा तथा खेल-कूद कार्यक्रमों के लिए ज्यादा समय देने का निर्णय किया है और इस प्रयोजन के लिए प्रसार माध्यमों को अधिक शक्तियां देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस प्रकार का निर्णय लेने का क्या कारण हैं ;

(ग) क्या शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत नैतिक, शारीरिक और ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जायेगा और ऐसे कार्यक्रमों के लिए ज्यादा समय उपलब्ध किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह काम किस तरह से किया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए किन क्षेत्रों और केन्द्रों का चयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) इस समय पाठ्यक्रमोन्मुखी आधार पर शैक्षणिक प्रसारण आकाशवाणी के 44 केन्द्रों से किये जाते हैं तथा इनको 30 और केन्द्रों से रिले किया जाता है। दूरदर्शन, शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रमों को आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूल दिवसों पर 45 मिनट की अवधि के लिए टेलीकास्ट कर रहा है। इसके

अतिरिक्त (1) दिल्ली और बम्बई केन्द्रों से पाठ्यचर्या उन्मुखी स्कूल दूरदर्शन कार्यक्रम नियमित रूप से टेलीकास्ट किए जा रहे हैं ; (2) दिल्ली, श्रीनगर तथा मद्रास केन्द्रों से समृद्धि उन्मुखी शैक्षणिक कार्यक्रम भी टेलीकास्ट किए जा रहे हैं तथा (3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों को भी समूचे संजाल के सभी अल्पशक्ति वाले तथा उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किए जा रहे हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपने मसौदा प्रस्तावों में, आकाशवाणी ने स्कूल, विश्वविद्यालय तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि करने के लिए 46 और शैक्षणिक कार्यक्रम निर्माण यूनिटें स्थापित करने की स्कीमें शामिल की है। हाल ही में 10 आकाशवाणी केन्द्रों पर मंजूर की गई खेल यूनिटों की संख्या 12 और केन्द्रों को कवर करने के लिए बढ़ा दिए जाने की संभावना है। इन उपायों के फलस्वरूप, शिक्षा और खेल संबंधी कार्यक्रम व्यापक सेवा-क्षेत्र में उपलब्ध होंगे तथापि, इन स्कीमों का कार्यान्वयन सातवीं योजना के अंतिम स्वरूप तथा धनराशि के आवंटन पर निर्भर करेगा।

दूरदर्शन का टेलीकास्ट समय सीमित है। दूरदर्शन अपना 36 प्रतिशत टेलीकास्ट समय पहले ही शैक्षणिक और खेल कार्यक्रमों को दे रहा है। अतिरिक्त शैक्षणिक और खेल कार्यक्रमों का टेली-कास्ट करना अधिक प्रेषण समय तथा आवश्यक साफ्टवेअर के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण, टेलीकास्ट करने तथा संगत सेवा में खेलों के कवरेज की व्यवस्था करने में आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों को अब भी विवेकाधिकार प्राप्त हैं।

(ग) से (ङ) शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण/टेलीकास्ट दो प्रकार के होते हैं :- औपचारिक और अनौपचारिक। पुराने कार्यक्रम पाठ्यक्रमोन्मुखी कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित पाठों और स्वकों पर आधारित होते हैं। तथापि, अनौपचारिक किस्म के कार्यक्रम पशुपालन, कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों, रोजगार के अवसरों, असाक्षरता का उन्मूलन आदि जैसे विविध विषयों को शैक्षणिक और सूचनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। इन कार्यक्रमों में नैतिक, शारीरिक तथा ग्रामीण शिक्षा जैसे विषयों को अब भी उपयुक्त रूप से कवर किया जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संजाल पर इस समय प्रस्तुत किये जा रहे औपचारिक शैक्षणिक प्रसारणों/टेलीकास्टों के बारे में सूचना भाग (क) और (ख) के उत्तर में दे दी गई है। अनौपचारिक किस्म के प्रसारण/टेलीकास्ट कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार संजाल के सभी स्टेशनों और केन्द्रों द्वारा किए जाते हैं।

Bungling in distribution of Water Melon Seeds

2920. DR. C. SILVERA: Will the Minister of AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report published in Jansatta of the 14th July, 1985 of serious bungling in distribution of water-melon seed by scientists of I.A.R.I. New Delhi; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter to punish the guilty?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR): (a) In the issue of Jansatta dated 14th July, 1985, there is no mention about the serious bungling in distribution of Water-melon seed by the scientists of Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.

(b) As such, no action in the matter is called for.